भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1768

उत्तर देने की तारीख-10/03/2025

स्कूल नामांकन में गिरावट

†1768. डॉ. डी. रवि कुमार:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा वर्ष 2018-22 और 2023-24 में सरकारी और निजी स्कूलों से 1.55 करोड़ छात्रों के पढ़ाई छोड़ने से निपटने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;
(ख) सरकार द्वारा बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में छात्रों के नामांकन में गिरावट को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;
(ग) सरकार द्वारा नामांकन बढ़ाने के लिए इन राज्यों को क्या सहायता प्रदान की गई है;
(घ) सरकार द्वारा छात्रों के नामांकन में गिरावट के मूल कारणों जैसे सामाजिक-आर्थिक कारक, प्रवास और स्कूल के बुनियादी ढांचे का पता लगाने और उन्हें दूर करने के लिए क्या पहल की गई है; और
(ङ) क्या राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन और उपरोक्त अवधि के दौरान स्कूल मांकन में गिरावट के बीच कोई संबंध है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जयन्त चौधरी)

(क) और (ख): स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग (डीओएसईएल), शिक्षा मंत्रालय ने सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उपलब्ध कराए गए स्कूली शिक्षा के संकेतकों संबंधी आंकड़े दर्ज करने हेतु शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली प्लस (यूडाइज़+) विकसित की है। यूडाइज़+ के अनुसार, वर्ष 2018-19 और 2023-24 के लिए छात्रों का नामांकन क्रमशः 26,02,94,216 और 24,80,45,828 है।

इसके अतिरिक्त, शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में है और अधिकांश स्कूल संबंधित राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के क्षेत्राधिकार में आते हैं। केन्द्र सरकार, केन्द्र प्रायोजित समग्र शिक्षा योजना के माध्यम से राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सहायता करती है। बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र सहित राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को सरकारी स्कूलों में नामांकन बढ़ाने और स्कूल छोड़ने की प्रवृत्ति को कम करने के लिए विभिन्न गतिविधियों हेतु वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है, जिसमें वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक नए स्कूलों को खोलना/सुदृढ़ीकरण करना, स्कूल की अवसंरचना को सुदृढ़ करना, कक्षा 12 तक कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (केजीबीवी) की स्थापना, उन्नयन और संचालन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय नामक आवासीय विद्यालयों/छात्रावास की स्थापना, परिवहन भत्ता, नामांकन अभियान चलाना, समयानुकूल छात्रावास/आवासीय शिविर, स्कूलों में व्यवसायपरक शिक्षा और आईसीटी सुविधाओं का प्रावधान, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें और निःशुल्क वर्दी, परिवहन/मार्गरक्षण सुविधा आदि प्रदान करना शामिल है, विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए सामग्री एवं उपकरणों हेतु वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है।

(ग): समग्र शिक्षा के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई। वर्ष 2024-25 के लिए समग्र शिक्षा के अंतर्गत केंद्र द्वारा अब तक जारी धनराशि 2072922.71 लाख रुपये है।

(घ) और (ङ): बच्चों के स्कूल छोड़ने के प्रमुख कारणों में घरेलू आय में वृद्धि करना, घरेलू काम-काज में हाथ बंटाना, पढ़ाई में रुचि न लेना, पढ़ाई का सामना करने में असमर्थ होना, बच्चे का किसी प्रकार की दिव्यांगता से ग्रस्त होना, खराब स्वास्थ्य, अभिभावकों द्वारा शिक्षा को आवश्यक न समझना, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, विवाह आदि शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, केन्द्र सरकार, स्कूल छोड़ने की प्रवृत्ति को कम करने के लिए केन्द्र प्रायोजित समग्र शिक्षा योजना के माध्यम से राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सहायता करती है।

साथ ही, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (एनईपी 2020) की सिफारिशों के आधार पर, वर्ष 2022-23 से यूडाइज़+ को पुनः सक्रिय किया गया है ताकि व्यक्तिगत छात्र-वार डेटा एकत्र किया जा सके और छात्र पंजीयन किया जा सके। वर्ष 2022-23 से सकल नामांकन डेटा से लेकर व्यक्तिगत छात्र डेटा तक डेटा संग्रह के तरीके में पूरी तरह से बदलाव हुआ है। यह पिछले वर्षों के डेटा की तुलना को सांख्यिकीय रूप से भिन्न/अपरिपक्व बना देता है।

******